

ए. पी. सरकार और अन्य

बनाम

कोल्लुतला ओबी रेड्डी और अन्य

10 अगस्त, 2005

[अरिजीत पासायत और एच. के. सेमा, जे.जे.]

भूमि अर्जन अधिनियम, 1894; धारा 4(1), 6,17 और 18/नागार्जुन सागर परियोजना (भूमि अर्जन) अधिनियम, 1956; धाराएँ 11 और 23/भारत का संविधान, 1950; अनुच्छेद 31-ए:

भूमि अर्जन के लिए अधिसूचना जारी करना - नागार्जुन अधिनियम में संशोधन - अर्जन के लिए नई अधिसूचना जारी करना और संशोधित अधिनियम के अनुसार बाजार मूल्य का निर्धारण - पंचाट - चुनौती - उच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित करते हुए रद्द किया कि बाद की अधिसूचना जारी करना अनावश्यक है -अपील पर, अभिनिर्धारित किया: देर से चुनौती दी गई नई अधिसूचनाओं को जारी करना - चूंकि 1894 के अधिनियम की धारा 18 के संदर्भ में संदर्भ याचिका निर्णय के लिए लंबित है, इसलिए उच्च न्यायालय का निर्णय अस्थिर है - निर्देश लंबित/ उच्च न्यायालय द्वारा बंद किए गए संदर्भ पुनर्जीवित किये जाते हैं।

नागार्जुन सागर परियोजना (भूमि अर्जन) अधिनियम, 1956 की संवैधानिक वैधता को आंध्र उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी। उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि नागार्जुन अधिनियम की धारा 23(1) में संशोधन भारत के संविधान के अनुच्छेद 31-ए के दूसरे परंतुक का उल्लंघन है, जहां तक यह अधिकतम सीमा के भीतर भूमि अर्जन से संबंधित है और व्यक्तिगत खेती के अधीन है। उच्च न्यायालय के निर्णय की यथार्थता को इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गयी। इस अन्तराल में, इन अपीलों में विवादों में भूमि का कब्जा अधिकारियों द्वारा ले लिया गया है, लेकिन 1894 अधिनियम की धारा 4 और 6 के तहत एक नई अधिसूचना जारी की गई और इस तरह से अधिग्रहित भूमि का बाजार मूल्य नागार्जुन अधिनियम के संशोधित प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया गया था। प्रतिवादियो-भूमि मालिकों ने सम्बंधित भूमि के बाज़ार मूल्य को नए सिरे से निर्धारित करने में सम्बंधित

अधिकारियों की कार्यवाहियों को चुनौती दी। उच्च न्यायालय ने नया पंचाट जारी करने के लिए भूमि अर्जन अधिकारी को मामले को प्रेषित किया। इसलिए वर्तमान अपीलें हैं।

अपीलों को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने -

अभिनिर्धारित किया : भूमि अर्जन, 1894 की धारा 4(1) के तहत अधिसूचना जारी होने और धारा 6 के तहत घोषणाएं किये जाने के लंबे समय बाद रिट-याचिकाकर्ताओं द्वारा इस मामले में उच्च न्यायालय का रुख किया गया था। केवल इसी आधार पर रिट याचिकाओं पर विचार नहीं किया जाना चाहिए था। इसके अलावा, प्रतिवादियों ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि 1894 के अधिनियम की धारा 18 के तहत संदर्भ विचाराधीन था। उच्च न्यायालय ने इस बात का कोई कारण भी नहीं बताया है कि रिट याचिकाओं पर विचार क्यों किया जा रहा था, जबकि 1894 के अधिनियम की धारा 18 के तहत संदर्भ विचाराधीन थे। इस आधार पर भी उच्च न्यायालय का निर्णय अपोशनीय हो जाता है। इसलिए उच्च न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाता है। संदर्भ जो विचाराधीन थे और उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय के आधार पर बंद कर दिए गए उन्हें पुनर्जीवित किया जाए।

अफलातून और अन्य बनाम दिल्ली के लेफ्टिनेंट राज्यपाल [1975] 4 एस. सी. सी. 285; तमिलनाडु राज्य और अन्य बनाम एल.कृष्णन और अन्य, [1996] 1 एस. सी. सी. 250 और ग्रेटर बॉम्बे नगर निगम बनाम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट क. प्रा. लि. और अन्य [1996] 11 एससीसी 501, पर निर्भरता ।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारिता: सिविल अपील सं. 3274-3475/ 2003

डब्ल्यू. पी. संख्या 4712 और 4725 ऑफ 1997 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 14.3.97 से।

गोपाल सुभ्रमण्यन, मनोज सक्सेना, अमित मेहरिया, देबोजीत बोरकाकाटी और मोहनप्रसाद मेहरिया, अपीलार्थियों के लिए ।

एस. एस. एस. रेड्डी, श्रीमती कविता आर., श्रीमती एस. उषा रेड्डी और श्रीमती डी. भारती रेड्डी, प्रतिवादियों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया -

अरिजीत पसायत, न्यायाधिपति

इन अपीलों में भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (संक्षेप में 'अधिनियम') के तहत दिए गए आदेशों/पंचाटों को अपास्त करने और भूमि अर्जन अधिकारी को निर्णय में की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए नए पंचाट पारित करने का निर्देश देने वाले आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ के फैसले को चुनौती दी गई है।

तथ्यात्मक पहलुओं का एक संक्षिप्त संदर्भ पर्याप्त होगा।

1956 में नागार्जुन सागर परियोजना (भूमि अर्जन) अधिनियम, 1956 (संक्षेप में 'नागार्जुन अधिनियम') अधिनियमित हुआ। उक्त अधिनियम के अंतर्गत अधिनियम में धारा 11 और 23 में संशोधन हुआ। 1979 में एक के.रंगैया और अन्य लोगों ने नागार्जुन अधिनियम के संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए रिट याचिका दायर की। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा दायर रिट याचिका संख्या 2110/79 (के.रंगैया और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, एआईआर (1980) एपी 165) में अपने निर्णय दिनांक 31.8.1979 द्वारा अभिनिर्धारित किया कि नागार्जुन अधिनियम द्वारा अधिनियम की धारा 23(1) (प्रथम खंड) में किया गया संशोधन भारत के संविधान, 1950 (संक्षेप में 'संविधान') के अनुच्छेद 31-ए के दूसरे परंतुक का उल्लंघन है, यह अधिकतम सीमा के भीतर भूमि के अर्जन से सम्बंधित है और व्यक्तिगत खेती के अधीन है। निर्णय की यथार्थता को इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई। के.रंगैया के मामले (उपरोक्त) के बाद कई अन्य रिट याचिकाओं पर भी निर्णय लिया गया। उन निर्णयों के खिलाफ सभी सिविल अपीलों को सिविल अपील संख्या 1220-42/82 और सम्बंधित मामलों में एक संविधान पीठ द्वारा लिया गया था। यह न्यायालय इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए संवैधानिक मुद्दों पर नहीं गया कि प्रतिवादी छोटे भूमि मालिक थे जिनके पास एक एकड़ सा कम भूमि थी 1980 और 1984 के बीच अलग-अलग तारीखों पर उन अपीलों में शामिल भूमि पर कब्जा कर लिया गया है। यह धारणा होने के कारण कि अधिसूचनाएँ समाप्त हो गई थीं, 1991 में धारा 4 और डी 6 के तहत नई अधिसूचनाएँ जारी की गईं। भूमि अर्जन अधिकारी ने उचित जांच के बाद नागार्जुन अधिनियम के अनुसार बाजार मूल्य निर्धारित किया और पंचाट 1992 में दिए गए। फरवरी 1997 में और उसके बाद की गई कार्रवाई की वैधता पर सवाल उठाते हुए रिट याचिकाएं दायर की गईं और नागार्जुन

अधिनियम का सहारा लिए बिना अधिनियम की धारा 4 (1) के तहत 1991 में अधिसूचना की तारीख को बाजार मूल्य निर्धारित करने के निर्देश के लिए अनुरोध किया गया। खंड पीठ ने माना कि इलाहाबाद विकास प्राधिकरण और अन्य बनाम नासिरुज्जमन और अन्य [1996] 6 एस सी सी 424 में इस न्यायालय के फैसले को देखते हुए बाद की अधिसूचनाएं वास्तव में अनावश्यक थीं। यह अभिनिर्धारित किया गया कि जब अधिनियम की धारा 17 के अनुसार भूमि का कब्जा ले लिया गया है, तो धारा 11-ए के प्रावधानों लागू नहीं होते हैं। इसलिए बाद की अधिसूचनाओं का कोई परिणाम नहीं माना गया। ऐसा मानने के बाद, उच्च न्यायालय ने पंचाटों को अपास्त करके भूमि अर्जन अधिकारी को मामला भेज दिया और नए आदेश पारित करने का निर्देश दिया।

अपीलार्थी-राज्य और उसके अधिकारियों के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय ने लंबे समय के बाद रिट याचिका के देरी से प्रस्तुति के सम्बन्ध में उठाये गए विशिष्ट तर्क पर विचार नहीं किया। इसके अलावा रिट याचिकाकर्ता ने अधिनियम के तहत उपलब्ध उपायों का प्रभावी ढंग से लाभ नहीं उठाया था और रिट याचिका दायर करने से बहुत पहले दिए गए पुरस्कारों में अप्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप के लिए नहीं कहा जा सकता था। यह आगे प्रस्तुत किया गया कि निर्विवाद स्थिति यह है कि संदर्भ अधिनियम की धारा धारा 18 के तहत लंबित थे जब रिट याचिका प्रस्तुत की गयी थी। ऐसे स्थिति में, उच्च न्यायालय को रिट याचिकाओं पर विचार नहीं करना चाहिए था।

जवाब में, प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि पहले के मामलों में इस न्यायालय का आदेश दिनांक 8 जुलाई, 1996, जिसका पहले संदर्भ दिया गया है, सारांश में उच्च न्यायालय के तर्क में पिछले फैसले में मूलतः कोई खामी नहीं पाई गयी। इसके अलावा, भूमि अर्जन अधिकारी ने कुछ मामलों में उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय पारित होने का बाद पुरस्कार पारित किये थी और इस अवधि में इस न्यायालय को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

हम सबसे पहले लंबे समय के बाद दायर की गयी रिट याचिका की विचारणीयता से संबंधित तर्क से निपटेंगे। फैसलों की श्रृंखला में इस न्यायालय ने माना है कि जब अधिनियम की धारा 4(1) के तहत अधिसूचना और धारा 6 के तहत घोषणा को चुनौती देने में देरी हो तो उच्च न्यायालय को रिट याचिकाओं पर विचार नहीं करना चाहिए। (देखें अफलातून और अन्य बनाम दिल्ली के लेफ्टिनेंट राज्यपाल, [1975] 4 एस.सी.सी. 285, टी.एन. राज्य और

अन्य बनाम एल.कृष्णन और अन्य, [1996] 1 एस.सी.सी. 250 और ग्रेटर बॉम्बे नगर निगम बनाम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट क.प्रा.लिमिटेड और अन्य [1996] 11 एससीसी 501

धारा 4(1) के तहत अधिसूचना जरी होने और धारा 6 के तहत घोषणाएं किये जाने के लंबे समय बाद रिट-याचिकाकर्ताओं द्वारा इस मामले में उच्च न्यायालय का रुख किया गया था। केवल इसी आधार पर रिट याचिकाओं पर विचार नहीं किया जाना चाहिए था। इसके अलावा, प्रतिवादियों ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि 1894 के अधिनियम की धारा 18 के तहत संदर्भ विचाराधीन था। उच्च न्यायालय ने इस बात का कोई कारण भी नहीं बताया है कि रिट याचिकाओं पर विचार क्यों किया जा रहा था, जबकि 1894 के अधिनियम की धारा 18 के तहत संदर्भ विचाराधीन थे। इस आधार पर भी उच्च न्यायालय का निर्णय अपोशनीय हो जाता है।

हम, इसलिए, उच्च न्यायालय के निर्णय को अपास्त करते हैं। निर्देश जो विचाराधीन थे और उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय के आधार पर बंद कर दिए गए उन्हें पुनर्जीवित किया जाए। इनमें से कुछ मामलों में नए पंचाट भी पारित किया गए हैं, उन्हें अलग रख दिया गया है और मूल निर्देश पुनर्जीवित हो गया है। केवल वे संदर्भ जो उच्च न्यायालय के फैसले की तारीख यानि 14.3.1997 को लंबित थी, पुनर्जीवित माने जायेंगे। इन मामलों में उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार अन्य दावे और निर्णय, यदि कोई हों, का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

ये अपीलें, तदनुसार, लागतों के संबंध में बिना किसी आदेश के स्वीकार की जाती हैं।

एसकेएस

अपीलें स्वीकार की गयीं।